न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 912–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2012 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा प्रकरण कमांक 28/अ–70/2010–11.

---

1 आधारसिंह पिता जीवनसिंह राजपूत
2 विक्रमसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत
3 हुकुमसिंह पिता दगडूसिंह राजपूत
तीनों निवासी ग्राम जामलीकला, तहसील पंधाना
जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सुशीलादेवी पति किशनलाल जाति माली
निवासी भवानी माता रोड, गौ शाला के सामने, खण्डवा
जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा म0 प्र0

.....अनावेदिका

श्री पी0 जी0 पाठक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0 एन0 फडके अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, पंधाना जिला खण्डवा के समक्ष अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जामलीखुर्द तहसील पंधाना स्थित भूमि सर्वे कमांक 356 एवं 357 कुल रकबा 7.16 हैक्टेयर की वह भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है और आवेदकगण अनावेदिका के पडोसी कृषक हैं । अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि का सीमाकंन कराया गया है । सीमाकंन में अनावेदिका की भूमि खसरा नंबर 357 के भाग 0.04 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 1 आधार सिंह का, सर्वे कमांक 357 की 0.28 हेक्टेयर भूमि व सर्वे कमांक 356 की भूमि 0.28 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 2 विकम सिंह का एवं सर्वे कमांक 357 की भूमि 0.34 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 3 हुकुमसिंह का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसे कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–70/10–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि सर्वे कमांक 357 का वास्तविक रकबा 0.59 हैक्टेयर है, जबकि आवेदकगण का कब्जा 0.66 हैक्टेयर पर दर्शाया गया है, जो कि संभव नहीं है । अतः किया गया सीमाकंन त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर संहिता की धारा 250 का प्रकरण प्रचलित नहीं हो सकता है, अतः अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) सीमाकंन रिपोर्ट के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि सीमाकंन रिपोर्ट में खसरा नंबर 357 का रकबा 0.59 हैक्टेयर होकर उक्त रकबे के 3 अलग अलग भागों पर आवेदकगण द्वारा कमशः 0.04,0.28 एवं 0.34 हैक्टेयर कुल रकबा 0.66 हेक्टेयर भूमि पर अवैधानिक आधिपत्य दर्शाया गया है । इस प्रकार वास्तविक रकबे से 0.07 हेक्टेयर अधिक भूमि पर अधिक कब्जा दर्शाया गया है, जो असंभव है । इससे प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है कि

अनावेदिका का संपूर्ण प्रकरण असत्य झुठा एवं बनावटी होकर उसके द्वारा पहले असत्य आधारों पर सीमाकंन कराया गया । तत्पश्चात उस सीमाकंन रिपोर्ट के आधार पर झुठे असत्य एवं बेबुनियाद आधारों पर मूल आवेदन पत्र अंतरिम आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में प्रस्तुत सीमाकंन रिपोर्ट एवं प्रतिप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 के आधार पर उक्त प्रकरण ही प्रचलन योग्य न होकर निरस्त होने योग्य है । किन्तु तहसीलदार के द्वारा उक्त कानूनी पहलू को नजर अंदाज कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है ।

(3) तहसीलदार के द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई योग्य कारण दर्शित नहीं किया गया है । प्रकरण की परिस्थिति के आधार पर प्रकरण में कोई साक्ष्य लेने की अथवा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय उद्धरणों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान की मंशा एवं रिकार्ड पर मौजूद तथ्यों के तथा संहिता की धारा 250 एवं 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमाकंन प्रतिवेदन में रकबे का कोई उल्लेख नहीं किया गया हे और न ही कितनी भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण, है यह स्थिति बतलाई गई है । यह भी कहा गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमाकंन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । आवेदकगण का यह दायित्व था कि वह संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पारित सीमाकंन आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देते, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है । इसलिये इस स्तर पर सीमाकंन को

त्रुटिपूर्ण नहीं बतलाया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । यदि आवेदक सीमांकन कार्यवाही से असंतुष्ट थे तब उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया जाना है । जहॉ आवेदक को अपनी साक्ष्य रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध और वह इस न्यायालय में उठाये गये बिन्दुओं को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2012 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर